

टेली-फैक्स/Tele-fax – 0522-2720634

दूरभाष/Telephone-0522-2720638, 2306185

ई-मेल/E-mail: up.gdc soi@gov.in



निदेशक का कार्यालय/Office of Director

भारतीय सर्वेक्षण विभाग/Survey of India

मानचित्र भवन/Manchitra Bhawan

पूर्वी उत्तर प्रदेश भू-स्था0 आंकड़ा केन्द्र (उ0क्षेत्र)

East Uttar Pradesh Geo-spatial Data Centre (NZ)

5, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ -226010

5, Vibhuti Khand, Gombi Nagar, Lucknow-226010(UP)

पत्रांक सं0:- 8858/37-जी-9

दिनांक:- 07-10-2022

**पूर्वी उ0प्र0 भू-स्था0 आंकड़ा केन्द्र लखनऊ का नेमी आदेश सं0 13 /37-जी-9, दिनांक 07-10-2022**

01- **पदोन्नति** :-

The competent authority has approved promotion of following Deputy Superintending Surveyors of Civilian Stream to the post of Superintending Surveyor in level 11 of Pay Matrix (Pre-revised PB-03 of Rs. 15, 600-39,100 + GP of Rs.6600) as per details given below

क्र0 सं0	नाम व पदनाम	पद जिसमें पदोन्नति हुई	पदोन्नति की तिथि	वेतन मेट्रिक्स	प्राधिकार
01	श्री राजीव नयनम, उप अधीक्षक सर्वेक्षक	अधीक्षक सर्वेक्षक	14-09-2022 (अपराहन)	लेवल 11	भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय पत्र सं0 सी-6071/853-SS, दिनांक 14-09-2022

निम्न प्रवर श्रेणी लिपिक को सहायक के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में उनके नाम के सामने दर्शाये गये विवरणानुसार नियमित आधार पर पदोन्नति की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क्र0 सं0	नाम व पदनाम	पद जिसमें पदोन्नति हुई	पदोन्नति की तिथि	वेतन मेट्रिक्स	प्राधिकार
01	श्री चन्द्रशेखर, प्रवर श्रेणी लिपिक	सहायक	13-09-2022	लेवल 6	भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय पत्र सं0 सी-6049/1354(सहायक./एच.सी.), दिनांक 12-09-2022

- उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी का पदोन्नति पद पर वेतन निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।
- पदोन्नति पर वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ0आर0 22(1)(क)(1) के तहत विकल्प देना होगा ।
- सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी यदि अनुसूचित जाति से सम्बन्धित होने पर अधिकारी/कर्मचारी का जाति सत्यापन के लिए कार्यवाही की जायेगी तथा पुनः जाति सत्यापन के में अधिकारी/कर्मचारी अनुसूचित जाति से नहीं होने पर तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।
- उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई सतर्कता/ अनुशासनात्मक मामला लम्बित नहीं हैं ।
- अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2022-23 के लिए संस्वीकृत आय-व्यय अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नामें डाला जाएगा ।

.....2/

## 02 - स्थानांतरण-

निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी इस कार्यालय में स्थानांतरण पर आये :-

क्रम सं०	नाम व पदनाम	किस कार्यालय से	उपस्थिति की तिथि	प्राधिकार
1	श्री गौरव पटेल, अवर श्रेणी लिपिक	भौगोलिक सूचना पददति और सुदूर संवेदन निदेशालय, हैदराबाद	16-08-2022	भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय पत्र सं० स्था.2-266/1979, दिनांक 05-08-2022

## 03 - पुष्टीकरण :-

इस कार्यालय के निम्न अवर श्रेणी लिपिक द्वारा परिवीक्षा-काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने दी गई तारीख से सरकारी सेवा में पुष्टीकरण (Confirmation) किये जाने संबंधी आदेश जारी किये जाते हैं।

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तिथि	पुष्टीकरण की तिथि
1	श्री नमन श्रीवास्तव, अवर श्रेणी लिपिक	08-08-2018	08-08-2020

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय पत्र सं० सी-4563/1902-Confirmation(LDC/UDC) दिनांक 24-08-2022

## 04- सरकारी सेवा में प्रतिधारण :-

भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय में गठित विशेष पुनरीक्षण समिति ने इस केन्द्र के निम्नलिखित कर्मचारी को 50/55 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर सरकारी सेवा में बने रहना स्वीकार कर लिया है:-

क्रम.सं.	नाम तथा पदनाम	
1	श्री विनित कुमार, अधिकारी सर्वेक्षक	50 वर्षकी आयु प्राप्त करने पर
1	श्री राम केवल प्रसाद, अधिकारी सर्वेक्षक	50 वर्षकी आयु प्राप्त करने पर

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं० सी-5082/854-आर(गजटेड) दिनांक 08/09-09-2022

निदेशक पूर्वी 30 प्र० भू-स्थानिक ऑकडा केन्द्र, लखनऊ कार्यालय में गठित विशेष पुनरीक्षण समिति ने इस केन्द्र के निम्नलिखित कर्मचारी को 50/55 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर सरकारी सेवा में बने रहना स्वीकार कर लिया है:-

क्रम.सं.	नाम तथा पदनाम		प्राधिकार
1	श्रीमति सुशीला देवी, एम.टी.एस.	55 वर्षकी आयु प्राप्त करने पर	निदेशक पूर्वी 30 प्र० भू-स्थानिक ऑकडा केन्द्र, लखनऊ का पत्र सं० सी-142/18-ए-5-सी, दिनांक 18-05-2022
1	श्री प्रभु राम, एम.टी.एस.	55 वर्षकी आयु प्राप्त करने पर	निदेशक पूर्वी 30 प्र० भू-स्थानिक ऑकडा केन्द्र, लखनऊ का पत्र सं० सी-195/18-ए-5-सी, दिनांक 04-08-2022

.....3/



**05- दण्ड :-**

केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवम् अपील) नियमावली 1965 के नियम 12 (2) में दी गयी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुशासन प्राधिकारी द्वारा श्री सुरेश कुमार, एम0टी0डी0, पूर्वी उ.प्र. जी.डी.सी., लखनऊ पर निम्नलिखित लघु दण्ड (Minor Penalty) अधिरोपित किया जाता है ।

“इस दण्ड की आदेश की तारीख के बाद देय एक वेतन वृद्धि पर एक वर्ष के लिए असंचयी प्रभाव से रोक”


“(Withholding of one increment of pay accruing after the date of this punishment order for a period of one year without cumulative effect).”

प्राधिकार:-निदेशक पूर्वी उ0प्र0 जी0डी0सी0 का पत्र सं0 सी-242/4-ए-(सुरेश कुमार) दिनांक 17-08-2022

**06- त्याग-पत्र /तकनीकी त्यागपत्र :-**

इस कार्यालय के निम्न कर्मचारियों को उनके नाम के सामने दर्शाये गये दिनांक से त्याग-पत्र/तकनीकी त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया है ।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	त्याग-पत्र स्वीकार करने की तिथि	टिप्पणी
1	श्री आदर्श कुमार, एम.टी.एस.	31-08-2022	स्वेच्छा से त्याग-पत्र
2	श्री <del>सुकेत</del> <del>करमप</del> , एम.टी.एस.	20-09-2022	स्वेच्छा से त्याग-पत्र
3	श्री मोहित चाहर, एम.टी.एस.	09-06-2022	स्वेच्छा से त्याग-पत्र



(राजीव कुमार श्रीवास्तव)

निदेशक

पूर्वी उ0 प्र0 भू-स्थानिक ऑकडा केन्द्र, लखनऊ

वितरण:

- 1- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- प्रभारी विभागीय वैबसाइट देहरादून को विभागीय वैबसाइट में अपलोड करने हेतु । (admin.soi@gov.in )
- 4- वरिष्ठ लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 5- लेखा अनुभाग, पूर्वी उ0प्र0 भू-स्था0 ऑ0के0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।